कार्यवाही विवरण
राजस्थान सरकार बनाम कुन्दनी देवी आदि
प्रकरण संख्या 10/2016

आदेश		अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
28.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकील/राज पैरोकार उपस्थित। प्रकरण को दर्ज हुये करीबन 6 वर्ष समय हो चुका है। पत्रावली का अवलोकन करने से पत्रावली वर्तमान में तलबी व जवाब में जैरकार है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रकरण न तो "PRESS" किया जा रहा है और न ही प्रकरण में रूचि दिखाई जा रही है। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग के परिपत्र F 10 (147)UDH/3/2008 PART 111 दिनांक 06.02.2017 के अनुसार मोबाईल टॉवर को स्थाई स्ट्रक्चर नही माना है वह अस्थाई निर्माण है तथा उसमें लगी कोई भूमि भी भूमि को रूपान्तरण करवाने की आवश्यकता नही है। अतः नगरीय विकास विभाग के उक्त परिपत्र के रोशनी में उकत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। एस.डी.ई.एम. (न्या.दे.) नवलगढ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:20:22 IST
Reason: SelfAttested